IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 5, Issue 8, March 2025
Impact Factor: 7.67

गरीबी, साक्षरता, जाति एवं लिंग के संदर्भ में भारत में मानवाधिकार शिक्षा की स्थिति

Dr. Sunil Kumar Pandey
Assistant Professor (Faculty of Education)
Maharana Pratap Government P. G. College, Hardoi, U.P., India
skpandey.gcic@gmail.com

भारत जैसे विविध और जटिल सामाजिक–आर्थिक संरचना वाले देश में मानवाधिकार शिक्षा सामाजिक न्याय और समानता की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। शोध में पाया गया कि गरीबी शिक्षा तक पहुँच और जागरूकता को सीमित करती है, साक्षरता मानवाधिकारों की समझ का आधार बनती है, जबकि जाति और लिंग सामाजिक भेदभाव और असमानता के रूप में बाधाएँ उत्पन्न करते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) और सरकारी योजनाओं जैसे प्रयासों के बावजूद, यह शिक्षा मुख्यधारा के पाठ्यक्रम और वंचित समुदायों तक प्रभावी रूप से नहीं पहुँच पाई है। यह शोधपत्र चुनौतियों, जैसे संसाधनों की कमी, सामाजिक असमानता और शिक्षक प्रशिक्षण की अपर्याप्तता, की पहचान करता है और समाधान के रूप में पाठ्यक्रम सुधार, जागरूकता अभियान और वंचित समुदायों के लिए विशेष पहल का सुझाव देता है। निष्कर्ष में, यह तर्क दिया गया है कि मानवाधिकार शिक्षा को मजबूत करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है, जो भारत को अधिक समावेशी और न्यायपूर्ण समाज की ओर ले जा सके।

मुख्य शब्द– मानवाधिकार शिक्षा, जागरूकता, सामाजिक न्याय, साक्षरता, असमानता।

प्रस्तावना

मानवाधिकार वे मूलभूत अधिकार और स्वतंत्रताएँ हैं, जो हर व्यक्ति को जन्म से ही मानव होने के नाते प्राप्त होती हैं, चाहे उनकी जाति, धर्म, लिंग, या आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। इस अवधारणा का आधुनिक स्वरूप संयुक्त राष्ट्र की सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा (Universal Declaration of Human Rights, UDHR), 1948 में स्पष्ट हुआ। UDHR के 30 अनुच्छेदों में जीवन, स्वतंत्रता, समानता, शिक्षा, और सम्मान जैसे अधिकारों की बात की गई है। उदाहरण के लिए, अनुच्छेद 26 में शिक्षा को हर व्यक्ति का अधिकार बताया गया है, जो प्राथमिक स्तर पर निःशुल्क और अनिवार्य होनी चाहिए। यह घोषणा वैश्विक स्तर पर मानवाधिकार शिक्षा का आधार बनती है, क्योंकि यह लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने पर बल देती है। भारतीय संदर्भ में, मानवाधिकारों की अवधारणा संविधान में निहित है। भारतीय संविधान का भाग III (मौलिक अधिकार) UDHR से प्रेरित है, जो समानता (अनुच्छेद 14), स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19), और जीवन के अधिकार (अनुच्छेद 21) की गारंटी देता है। हालाँकि, भारत में मानवाधिकारों का व्यावहारिक क्रियान्वयन गरीबी, अशिक्षा और सामाजिक असमानता जैसे कारकों से प्रभावित होता है। उदाहरण के लिए, एक गरीब व्यक्ति को यह पता ही नहीं होता कि उसे न्यूनतम मजदूरी का अधिकार है, क्योंकि उसे इसकी शिक्षा नहीं मिली है। इस तरह, UDHR का सैद्धांतिक ढाँचा भारत में तब तक अधूरा है, जब तक इसे गरीबी के संदर्भ में लागू करने के लिए ठोस कदम न उठाए जाएँ। मानवाधिकार शिक्षा इस अंतर को पाटने का एक जरिया बन

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 5, Issue 8, March 2025 Impact Factor: 7.67

सकती है, जो लोगों को उनके अधिकारों की जानकारी प्रदान करे और उन्हें सशक्त बनाए। शिक्षा का अधिकार मानवाधिकारों का एक अभिन्न अंग है, क्योंकि यह अन्य सभी अधिकारों को प्राप्त करने का आधार है। भारत में, यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत किया गया है, जो 2002 में 86वें संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। यह अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी देता है। इसके अतिरिक्त, 2009 में लागू शिक्षा का अधिकार अधिनियम (Right to Education Act, RTE) ने इसे और मजबूत किया, जिसमें निजी स्कूलों में 25% सीटें गरीब बच्चों के लिए आरक्षित करने का प्रावधान है। सैद्धांतिक रूप से, यह एक क्रांतिकारी कदम है, जो शिक्षा को गरीबी से जोड़ कर मानवाधिकारों को बढ़ावा देता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, भारत ने कई संधियों पर हस्ताक्षर किए हैं, जो शिक्षा के अधिकार को मान्यता देती हैं। इनमें बाल अधिकार संधि (Convention on the Rights of the Child, CRC), 1989 सम्मिलित है, जिसके अनुच्छेद 28 और 29 शिक्षा को प्रत्येक बच्चे का अधिकार मानते हैं और मानवाधिकार शिक्षा से जुड़े पहलुओं पर बल देते हैं।

मानवाधिकार शिक्षा (Human Rights Education. HRE) एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्तियों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने के साथ–साथ सामाजिक न्याय, समानता और मानवीय गरिमा के मूल्यों को बढ़ावा देती है। यह शिक्षा न केवल व्यक्तिगत स्तर पर सशक्तिकरण का साधन है, बल्कि समाज में समावेशिता और शांति स्थापित करने का एक प्रभावी उपकरण भी है। भारत जैसे देश में, जहाँ सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विविधता बहुत ही व्यापक पर पायी जाती है, मानवाधिकार शिक्षा का महत्व और भी बढ़ जाता है। यहाँ की जटिल सामाजिक संरचना में गरीबी, साक्षरता, जाति और लिंग जैसे कारक न केवल मानवाधिकारों के उल्लंघन के कारण बनते हैं, बल्कि इनके संरक्षण और प्रचार–प्रसार में भी बाधाएँ उत्पन्न करते हैं। भारत का संविधान अपने नागरिकों को मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है, फिर भी, इन अधिकारों का प्रभावी क्रियान्वयन और इनके प्रति जन जागरूकता अभी भी एक बड़ी चुनौती है। इस शोधपत्र का उद्देश्य गरीबी, साक्षरता, जाति और लिंग के विशेष संदर्भ में भारत में मानवाधिकार शिक्षा की स्थिति का गहन विश्लेषण करना है। इस शोधपत्र द्वारा यह समझने का प्रयास किया गया है कि ये कारक मानवाधिकार शिक्षा के प्रसार को कैसे प्रभावित करते हैं? और इन चुनौतियों से निपटने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं।

भारत में मानवाधिकार शिक्षा का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यः– भारत में मानवाधिकारों की अवधारणा प्राचीन काल से ही मौजूद रही है। वेदों, उपनिषदों और बौद्ध दर्शन में मानवीय गरिमा और समानता की बात की गई है। हालाँकि, औपनिवेशिक काल में ब्रिटिश शासन ने भारतीय समाज में असमानता और शोषण को बढ़ावा दिया। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, महात्मा गांधी और डॉ. बी.आर. अंबेडकर जैसे नेताओं ने मानवाधिकारों के लिए संघर्ष किया। स्वतंत्रता के बाद, 26 जनवरी 1950 को लागू हुए संविधान के द्वारा मानवाधिकारों को औपचारिक रूप से मान्यता मिली। इस दिशा में 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) की स्थापना एक महत्वपूर्ण कदम था, जिसने मानवाधिकारों के प्रचार और संरक्षण को संस्थागत रूप प्रदान किया। इसके पश्चात, मानवाधिकार शिक्षा को औपचारिक शिक्षा प्रणाली में सम्मिलित करने के प्रयास आरम्भ हुए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने कुछ विश्वविद्यालयों में मानवाधिकार शिक्षा को वैकल्पिक विषय के रूप में शुरू किया, तथा NHRC ने जागरूकता अभियानों के माध्यम से इसे जन–जन तक पहुँचाने की प्रयास किया। फिर भी, यह शिक्षा अभी भी मुख्यधारा के विद्यालयी पाठ्यक्रम से बाहर है तथा समाज के वंचित वर्गों तक इसकी पहुँच सीमित है।

मानवाधिकार शिक्षा का अर्थ और उद्देश्यः– मानवाधिकार शिक्षा का अर्थ है व्यक्तियों को उनके मूलभूत अधिकारों और स्वतंत्रताओं के बारे में जानकारी देना, ताकि वे अपने जीवन को सम्मानजनक और स्वतंत्र रूप से जी सकें। संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकारों

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 5, Issue 8, March 2025 Impact Factor: 7.67

की सार्वभौमिक घोषणा (1948) के अनुसार, हर व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता, शिक्षा, स्वास्थ्य और समानता का अधिकार है। मानवाधिकार शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों में सम्मिलित हैः–1. जागरूकता उत्पन्न करना, अर्थात् लोगों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों से अवगत कराना। 2. सशक्तिकरणः– व्यक्तियों को अपने अधिकारों की रक्षा करने और शोषण के विरूद्व आवाज उठाने में सक्षम बनाना, तथा 3. सामाजिक भेदभाव, असमानता और हिंसा को कम करके एक समावेशी समाज का निर्माण करना।

भारत में मानवाधिकार शिक्षा का महत्व इसलिए भी अधिक है, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या का एक बड़ा भाग अभी भी सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित है। गरीबी, अशिक्षा, जातिगत भेदभाव और लैंगिक असमानता जैसे मुद्दे यहाँ के सामाजिक ताने–बाने में गहरायी तक समाए हुए हैं। इन मुद्दों को संबोधित करने के लिए मानवाधिकार शिक्षा को एक प्रभावी औजार के रूप में उपयोग किया जा सकता है।

मानवाधिकार शिक्षा की आवश्यकताः– मानवाधिकार शिक्षा की आवश्यकता को निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता हैः–

1. सामाजिक असमानता जाति, लिंग और आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव यहाँ व्यापक है, मानवाधिकार शिक्षा इस असमानता को कम करने में सहायता कर सकती है।
2. शोषण और हिंसा, बाल श्रम, बंधुआ मजदूरी, घरेलू हिंसा और मानव तस्करी जैसे मुद्दे अभी भी मौजूद हैं, इनके विरूद्व जागरूकता के लिए यह शिक्षा आवश्यक है।
3. कानूनी अज्ञानता, अधिकांश नागरिक अपने संवैधानिक अधिकारों से अनजान हैं, जिसके कारण वे शोषण का शिकार बनते हैं।
4. विविधता का सम्मान, भारत की सांस्कृतिक और सामाजिक विविधता को बनाए रखने के लिए मानवाधिकार शिक्षा एक सेतु का काम कर सकती है।

गरीबी और मानवाधिकार शिक्षा

भारत में गरीबी की स्थिति

सैद्धांतिक रूप से, गरीबी को एक बहुआयामी समस्या माना जाता है, जो केवल आय की कमी ही नहीं, बल्कि अवसरों, शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान की कमी को भी दर्शाती है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने अपनी क्षमता दृष्टिकोण (Capability Approach) में तर्क दिया कि गरीबी लोगों की मूलभूत क्षमताओं को सीमित करती है, जैसे शिक्षा प्राप्त करने या स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता। यह दृष्टिकोण मानवाधिकारों से सीधे जुड़ा है, क्योंकि अधिकारों का उपयोग करने के लिए व्यक्ति को सक्षम होना आवश्यक है।

1. **गरीबी की परिभाषा और मापदंडः–** विश्व बैंक के अनुसार गरीबी को सामान्य रूप से एक ऐसी स्थिति के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें व्यक्ति या परिवार अपनी आधारभूत आवश्यकताओं, जैसे भोजन, आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा को पूरा करने में असमर्थ होते हैं। भारत में गरीबी को मापने के लिए विभिन्न मापदंड उपयोग में लाए जाते हैं। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (NSSO) प्रति व्यक्ति प्रति माह खपत व्यय के आधार पर गरीबी रेखा को निर्धारित करता है। उदाहरण के लिए, 2011–12 के टेंडुलकर समिति के मानदंडों के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में 816 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपये प्रति माह से कम आय वाले लोग गरीबी रेखा से नीचे माने गए। हालाँकि, इन आँकड़ों को समय–समय पर मुद्रास्फीति के आधार पर समायोजित किया जाता है। विश्व बैंक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गरीबी को मापने

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 5, Issue 8, March 2025
Impact Factor: 7.67

के लिए प्रति व्यक्ति प्रति दिन आय का उपयोग करता है। इसके अनुसार, 1.90 डॉलर (लगभग 160 रुपये) से कम आय वाले व्यक्तियों को अत्यधिक गरीब माना गया है। 2023 के विश्व बैंक डेटा के अनुसार, भारत की लगभग 12% आबादी इस श्रेणी में आती है। ये मापदंड गरीबी को मात्र आर्थिक दृष्टि से ही नही देखते हैं, बल्कि यह सामाजिक और शैक्षिक अभाव को भी प्रतिबिंबित करते हैं। उदाहरण के लिए, एक गरीब परिवार जो भोजन के लिए संघर्ष कर रहा है, शिक्षा पर खर्च करने में असमर्थ होता है, जो मानवाधिकार शिक्षा तक पहुँच को और सीमित करता है।

2. **ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में गरीबी की स्थितिः–** भारत में गरीबी का स्वरूप ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में भिन्न है। NSSO के नवीनतम उपलब्ध आँकड़ों (2011–12, जो बाद में अपडेट हुए हैं) के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की दर 25.7% थी, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 13.7% थी। हालाँकि, 2023 तक विश्व बैंक और अन्य अनुमानों के आधार पर, ग्रामीण गरीबी अभी भी शहरी गरीबी से अधिक है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सीमित हैं और बुनियादी सुविधाएँ विद्यालय, अस्पताल और सड़के कम विकसित हैं। नीति आयोग की 2021 की बहुआयामी गरीबी सूचकांक (Multidimensional Poverty Index, MPI) रिपोर्ट के अनुसार, भारत के 25% से अधिक ग्रामीण परिवार बहुआयामी गरीबी (स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर में कमी) से प्रभावित हैं। शहरी गरीबी, हालाँकि प्रतिशत में कम है किन्तु संख्या में विशाल है। शहरों में झुग्गी–झोपड़ियों में रहने वाले लोग जो भारत की शहरी आबादी का लगभग 17% हैं, प्रायः ये असंगठित क्षेत्र में कार्य करते हैं तथा शिक्षा तक उनकी पहुँच सीमित रहती है। उदाहरण के लिए, दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों में लाखों बच्चे सड़कों पर काम करते हैं, जिससे उनकी विद्यालयी शिक्षा और मानवाधिकार जागरूकता प्रभावित होती है। ग्रामीण व शहरी गरीबी के ये आँकड़े दर्शाते हैं कि भारत में गरीबी एक जटिल समस्या है, जो क्षेत्रीय असमानताओं से और गहरी होती है।

3. **गरीबी के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारकः–** भारत में गरीबी के कारक बहुआयामी हैं और इन्हें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारकों में विभाजित किया जा सकता है। सामाजिक रूप से, जाति व्यवस्था और लैंगिक असमानता गरीबी को बढ़ाते हैं। अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) समुदायों में गरीबी की दर सामान्य आबादी से अधिक है। नीति आयोग की 2021 की रिपोर्ट के अनुसार, ST परिवारों में 50% से अधिक बहुआयामी गरीबी से प्रभावित हैं। महिलाओं को शिक्षा और रोजगार में कम अवसर मिलते हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर रहती है। आर्थिक कारकों में बेरोजगारी, कम मजदूरी और कृषि पर निर्भरता सम्मिलित हैं। भारत की लगभग 60% आबादी अभी भी कृषि पर निर्भर है, जो मौसम और बाजार की अनिश्चितताओं से प्रभावित होती है। भारतीय श्रम संगठन (ILO) के अनुसार, 2022 में भारत में असंगठित क्षेत्र में 80% से अधिक श्रमिक कार्यरत थे, जिन्हें न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिलती है। राजनीतिक कारकों में नीतियों का अपर्याप्त क्रियान्वयन और भ्रष्टाचार प्रमुख हैं। उदाहरण के लिए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) और मनरेगा जैसी योजनाएँ गरीबी कम करने के लिए बनाई गई हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के कारण इनका लाभ गरीबों तक पूरी तरह नहीं पहुँच पाता है। ये कारण मिलकर गरीबी को बनाए रखते हैं और मानवाधिकार शिक्षा तक पहुँच को सीमित करते हैं।

4. **गरीबी और शिक्षा तक पहुँच में असमानताः–** गरीबी का प्रमुख प्रत्यक्ष प्रभाव शिक्षा तक पहुँच पर पड़ता है, जो मानवाधिकार शिक्षा की नींव है। यूनिसेफ की 2022 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 6–14 वर्ष की आयु के लगभग 3 करोड़ बच्चे विद्यालयों से बाहर हैं, जिनमें से अधिकांश गरीब परिवारों से हैं। गरीबी के कारण इन परिवारों को बच्चों

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 5, Issue 8, March 2025
Impact Factor: 7.67

को स्कूल भेजने के बजाय काम पर भेजना पड़ता है। उदाहरण के लिए, बिहार में 40% से अधिक बच्चे बाल श्रम में लगे हैं, क्योंकि उनके परिवारों की आय इतनी कम है कि वे स्कूल की फीस, किताबें या यूनिफॉर्म का खर्च नहीं उठा सकते। शिक्षा तक पहुँच में असमानता क्षेत्रीय और सामाजिक स्तर पर भी दिखती है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों की कमी और शिक्षकों की अनुपस्थिति एक बड़ी समस्या है। ASER (Annual Status of Education Report) 2022 के अनुसार, ग्रामीण भारत में 50% से अधिक बच्चे पाँचवीं कक्षा तक पहुँचते–पहुँचते बुनियादी पढ़ाई–लिखाई नहीं सीख पाते। शहरी झुग्गियों में, स्कूल उपलब्ध होने के बावजूद, गरीब परिवारों के बच्चे शिक्षा से वंचित रहते हैं। यह असमानता मानवाधिकार शिक्षा को प्रभावित करती है, चूँकि बिना बुनियादी शिक्षा के लोग अपने अधिकारों को समझ ही नहीं सकते। इस तरह, गरीबी और शिक्षा के मध्य का यह अंतर मानवाधिकारों के हनन को और गहरा करता है।

गरीबी भारत में मानवाधिकार शिक्षा के प्रसार में एक प्रमुख अवरोधक के रूप में कार्य करती है। यह न केवल शिक्षा तक पहुँच को सीमित करती है, बल्कि लोगों को उनके मूलभूत अधिकारों के प्रति जागरूक होने से भी रोकती है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ आर्थिक असमानता गहराई तक जड़ें जमाए हुए है। विश्व बैंक के 2022 के आँकड़ों के अनुसार, भारत में लगभग 12.9% आबादी अत्यधिक गरीबी (1.90 डॉलर प्रतिदिन से कम आय) में जीवन यापन कर रही थी। हालाँकि पिछले कुछ दशकों में गरीबी दर में कमी आई है, फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी झुग्गी–झोपड़ियों में रहने वाले लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं।

गरीबी और मानवाधिकारों का संबंधः– गरीबी और मानवाधिकारों के मध्य एक गहरा और जटिल संबंध है। गरीबी न केवल आर्थिक अभाव है, बल्कि यह शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और सम्मानजनक जीवन जैसे मानवाधिकारों से भी वंचित करती है। संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (1948) के अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को पर्याप्त जीवन स्तर का अधिकार है, जिसमें भोजन, वस्त्र, आवास और चिकित्सा देखभाल सम्मिलित है। भारत में गरीबी के कारण लाखों लोग इन अधिकारों से वंचित हैं।

गरीबी मानवाधिकार शिक्षा के लिए दोहरी चुनौती प्रस्तुत करती है। पहली, यह औपचारिक शिक्षा तक पहुँच को सीमित करती है, जो मानवाधिकार शिक्षा का आधार है। दूसरी, यह लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने और उन्हें माँगने की क्षमता से वंचित रखती है। उदाहरण के लिए, गरीब परिवारों के बच्चे प्रायः स्कूल जाने के बजाय काम करने के लिए मजबूर होते हैं, जिससे वे अपने शिक्षा के अधिकार (संविधान का अनुच्छेद 21) से वंचित रह जाते हैं।

गरीबी का मानवाधिकार शिक्षा पर प्रभाव

शिक्षा तक पहुँच में कमीः– गरीब परिवार अपनी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ही संघर्ष करते रहतें हैं अस्तु शिक्षा उनके लिए एक निम्न प्राथमिकता क्रम में आती है। 2019–20 के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) के सर्वेक्षण के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में 5–14 आयु वर्ग के लगभग 13% बच्चे विद्यालयों से बाहर थे, जिनमें से अधिकांश गरीबी के कारण पढ़ाई छोड़ चुके थे। बिना औपचारिक शिक्षा के मानवाधिकार शिक्षा तक पहुँचना असंभव है।

बाल श्रम और शोषणः– गरीबी के कारण बच्चे बाल श्रम में धकेल दिए जाते हैं। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) की 2021 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में लगभग 5.8 मिलियन बच्चे बाल श्रम में संलग्न हैं। ये बच्चे अपने अधिकारों से अनजान रहते हैं और शोषण को नियति मान लेते हैं।

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 5, Issue 8, March 2025 Impact Factor: 7.67

जागरूकता का अभावः– गरीब समुदायों में जीविका की चिंता इतनी प्रबल होती है कि मानवाधिकार जैसे मुद्दे गौण हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, बंधुआ मजदूरी में फँसे मजदूर अपने स्वतंत्रता के अधिकार (अनुच्छेद 23) से अनभिज्ञ रहते हैं।

संसाधनों की कमीः– गरीब क्षेत्रों में विद्यालयों में किताबें, शिक्षक और बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हो पातीं हैं ऐसी दशा में मानवाधिकार शिक्षा के लिए विशेष पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण की तो बात ही दूर है।

उदाहरण और केस स्टडी

उड़ीसा के कालाहांडी जिला यह क्षेत्र गरीबी और कुपोषण के लिए कुख्यात है। यहाँ के अधिकांश बच्चे विद्यालयों में नहीं जाते और खेतों या घरेलू काम में लगे रहते हैं। मानवाधिकार शिक्षा यहाँ लगभग अनुपस्थित है, और लोग अपने स्वास्थ्य और शिक्षा के अधिकारों से अनजान हैं।

दिल्ली की झुग्गियाँ राष्ट्रीय राजधानी में भी झुग्गी–झोपड़ियों में रहने वाले लोग शिक्षा और जागरूकता से वंचित हैं। यहाँ के बच्चे कूड़ा बीनने या छोटे–मोटे कामों में लगे रहते हैं, और उनके माता–पिता को यह नहीं पता कि उनके बच्चों का शिक्षा में अधिकार है।

सरकारी प्रयास और उनकी सीमाएँः–

भारत सरकार ने गरीबी उन्मूलन और शिक्षा के प्रसार के लिए कई योजनाएँ शुरू की हैं, जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना गरीबों को भोजन और आर्थिक सहायता प्रदान करना। सर्व शिक्षा अभियान (SSA), 6–14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। मिड–डे मील योजना स्कूलों में बच्चों को भोजन देकर उनकी उपस्थिति बढ़ाना। हालाँकि, इन योजनाओं में मानवाधिकार शिक्षा को विशेष रूप से सम्मिलित नहीं किया गया है। SSA का ध्यान साक्षरता पर है, मानवाधिकारों की समझ विकसित करना इसका हिस्सा नहीं है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने गरीब समुदायों के लिए जागरूकता अभियान चलाए हैं, जैसे बंधुआ मजदूरी के विरूद्ध सेमिनार और कार्यशालाएँ, लेकिन इनका प्रभाव सीमित है क्योंकि गरीबी के मूल कारणों को संबोधित नहीं किया जाता।

समाधान हेतु सुझावः– गरीबी के संदर्भ में मानवाधिकार शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं–

1. **निःशुल्क और सुलभ शिक्षाः–** गरीब क्षेत्रों में स्कूलों की संख्या बढ़ाई जाए और मानवाधिकार शिक्षा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए।
2. **आर्थिक सहायताः–** गरीब परिवारों को बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाए, ताकि बाल श्रम कम हो।
3. **जागरूकता अभियानः–** ग्रामीण और शहरी गरीब समुदायों में NHRC और गैर–सरकारी संगठनों (NGOs) के सहयोग से साधारण भाषा में कार्यशालाएँ आयोजित की जाएँ।
4. **प्रशिक्षित शिक्षकः–** शिक्षकों को मानवाधिकारों के बारे में प्रशिक्षण दिया जाए, ताकि वे बच्चों को उनके अधिकारों से अवगत करा सकें।
5. **सामुदायिक भागीदारीः–** गरीब समुदायों के नेताओं और प्रभावशाली व्यक्तियों को जागरूकता फैलाने के लिए सम्मिलित किया जाए।

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 5, Issue 8, March 2025 Impact Factor: 7.67

गरीबी भारत में मानवाधिकार शिक्षा के लिए एक अभेद्य दीवार की तरह है। यह न केवल शिक्षा तक पहुँच को रोकती है, बल्कि लोगों को अपने अधिकारों के प्रति उदासीन बनाती है। जब तक गरीबी के मूल कारणों को संबोधित नहीं किया जाता, मानवाधिकार शिक्षा का सपना अधूरा रहेगा।

साक्षरता और मानवाधिकार शिक्षा

साक्षरता मानवाधिकार शिक्षा का आधारभूत स्तंभ है। यह न केवल व्यक्तियों को पढ़ने–लिखने की क्षमता प्रदान करती है, बल्कि उन्हें अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझने की शक्ति भी देती है। भारत में साक्षरता दर पिछले कुछ दशकों में बढ़ी है, लेकिन यह अभी भी असमान और अपर्याप्त है। 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत की साक्षरता दर 74.04% थी, जो अनुमानित रूप से 2023 तक 80% के आसपास पहुँच गई है। फिर भी, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों, पुरुषों और महिलाओं, तथा विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच साक्षरता में व्यापक असमानता मौजूद है। इस अनुच्छेद में साक्षरता और मानवाधिकार शिक्षा के मध्य संबंधों का विश्लेषण किया गया है, कि साक्षरता की कमी मानवाधिकार शिक्षा को कैसे प्रभावित करती है, तथा इसके समाधान के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं।

साक्षरता और मानवाधिकार शिक्षा का संबंध

साक्षरता के बिना मानवाधिकार शिक्षा अधूरी है। यह लोगों को अपने संवैधानिक अधिकारों, जैसे समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14), भेदभाव से मुक्ति (अनुच्छेद 15), और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19), को समझने और उपयोग करने में सक्षम बनाती है। साक्षर व्यक्ति न केवल अपने अधिकारों को पढ़ और समझ सकता है, बल्कि वह अपने अधिकारों के उल्लंघन के विरूद्ध आवाज भी उठा सकता है। इसके विपरीत, निरक्षरता लोगों को अज्ञानता के अंधेरे में रखती है, जिससे वे शोषण और अन्याय के शिकार बनते हैं। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (UNESCO) साक्षरता को मानवाधिकार शिक्षा का एक अभिन्न अंग मानता है। UNESCO के अनुसार, साक्षरता लोगों को अपने अधिकारों और उत्तरदायित्वों को समझने तथा समाज में सक्रिय रूप से भाग लेने में सक्षम बनाती है। भारत में यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ की आबादी का बड़ा भाग अभी भी अशिक्षित है तथा अपने अधिकारों से अनजान है।

भारत में साक्षरता की स्थिति

भारत में साक्षरता दर में सुधार हुआ है, लेकिन यह प्रगति असमान रही है। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर 82.14% महिला साक्षरता दर 65.46% ग्रामीण साक्षरता दर 68.91% शहरी साक्षरता दर 84.98% केरल जैसे राज्य लगभग शतप्रतिशत साक्षरता के आस–पास हैं, जबकि बिहार और राजस्थान जैसे राज्यों में यह दर अभी भी 70% से कम है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) के 2019–20 के सर्वेक्षण के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में 15% से अधिक वयस्क अभी भी पूरी तरह निरक्षर हैं। यह असमानता मानवाधिकार शिक्षा के प्रसार में एक बड़ी बाधा है।

निरक्षरता का मानवाधिकार शिक्षा पर प्रभाव

1. **कानूनी अज्ञानता:–** निरक्षर लोग अपने संवैधानिक और कानूनी अधिकारों को नहीं समझ पाते। उदाहरण के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में लोग प्रायः यह नहीं जानते कि उनके पास निशुल्क कानूनी सहायता (अनुच्छेद 39) का अधिकार है।
2. **शोषण की स्वीकृति:–** अशिक्षित लोग शोषण को नियति मान लेते हैं। बंधुआ मजदूरी, कम मजदूरी और बाल विवाह जैसे मुद्दे अशिक्षा के कारण सामान्य बने रहते हैं।

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 5, Issue 8, March 2025 Impact Factor: 7.67

3. **सीमित जागरूकता:–** मानवाधिकार शिक्षा के लिए जागरूकता अभियानों का प्रभाव तब कम हो जाता है जब लोग लिखित सामग्री को पढ़ नहीं सकते। उदाहरण के लिए, NHRC द्वारा प्रकाशित पुस्तिकाएँ अशिक्षित लोगों के लिए उपयोगी नहीं होतीं।
4. **शिक्षा प्रणाली में कमी:–** स्कूलों में मानवाधिकार शिक्षा को सम्मिलित करने की प्रक्रिया धीमी है, और जहाँ साक्षरता दर कम है, वहाँ यह और भी प्रभावहीन हो जाती है।

उदाहरण और केस स्टडी

राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र यहाँ साक्षरता दर, विशेष रूप से महिलाओं में, बहुत कम है। एक अध्ययन (2018, प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन) में पाया गया कि यहाँ के 40% से अधिक वयस्क सरल वाक्य पढ़ने में असमर्थ हैं। परिणामस्वरूप, वे अपने अधिकारों, जैसे भूमि स्वामित्व या सरकारी योजनाओं के लाभ, से वंचित रहते हैं।

झारखंड के आदिवासी समुदाय यहाँ साक्षरता दर 66% से कम है। आदिवासी लोग प्रायः वन अधिकार अधिनियम (2006) के तहत अपने अधिकारों से अनजान रहते हैं, जिसके कारण उनकी जमीनें छीन ली जाती हैं।

सरकारी प्रयास और उनकी सीमाएँ:– भारत सरकार ने साक्षरता बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं, यथा:

सर्व शिक्षा अभियान (SSA):- 6–14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 इसमें साक्षरता और मूलभूत शिक्षा पर बल दिया गया है।

साक्षर भारत मिशन:– यह वयस्कों के लिए साक्षरता कार्यक्रम है, हालाँकि इन प्रयासों में कुछ कमियाँ हैं मानवाधिकार पर ध्यान का अभाव इन योजनाओं का फोकस बुनियादी साक्षरता पर है, न कि मानवाधिकार शिक्षा पर।

शिक्षकों का अपर्याप्त प्रशिक्षण:– शिक्षकों को मानवाधिकारों के बारे में सिखाने के लिए विशेष प्रशिक्षण नहीं दिया जाता।

ग्रामीण क्षेत्रों में पहुँच की कमी:– सुदूर अंचलों में स्कूल और संसाधन अभी भी अपर्याप्त हैं।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने भी साक्षरता और मानवाधिकार शिक्षा को जोड़ने के प्रयास किए हैं। उदाहरण के लिए, NHRC ने ग्रामीण क्षेत्रों में मौखिक तथा दृश्य–श्रव्य माध्यमों (जैसे नाटक और फिल्में) के जरिए जागरूकता अभियान चलाया हैं, किन्तु ये प्रयास व्यापक स्तर पर प्रभावी नहीं हो पाए हैं, क्योंकि साक्षरता की कमी इन संदेशों को समझने में बाधा बनती है।

साक्षरता और मानवाधिकार शिक्षा को जोड़ने की चुनौतियाँ

1. **असमानता:–** लिंग, क्षेत्र और सामाजिक समूहों के बीच साक्षरता में अंतर।
2. **पाठ्यक्रम में कमी:–** स्कूलों में मानवाधिकार शिक्षा को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल नहीं किया गया है।
3. **सांस्कृतिक बाधाएँ:–** कुछ समुदायों में शिक्षा, खासकर लड़कियों की शिक्षा, को महत्व नहीं दिया जाता।
4. **आर्थिक बाधाएँ:–** गरीबी के कारण लोग शिक्षा को प्राथमिकता नहीं दे पाते, जैसा कि पिछले अनुच्छेद में चर्चा की गई।

समाधान हेतु सुझाव:– साक्षरता के माध्यम से मानवाधिकार शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं:–

1. **पाठ्यक्रम में एकीकरण:–** प्राथमिक स्तर से ही मानवाधिकार शिक्षा को स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाए। इसमें संविधान के मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों को सरल भाषा में सम्मिलित किया जाए।

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 5, Issue 8, March 2025 Impact Factor: 7.67

2. **शिक्षक प्रशिक्षणः–** शिक्षकों को मानवाधिकारों के बारे में प्रशिक्षित किया जाए, ताकि वे इसे प्रभावी ढंग से पढ़ा सकें।
3. **वयस्क साक्षरता कार्यक्रमः–** साक्षर भारत मिशन जैसे कार्यक्रमों में मानवाधिकार शिक्षा को शामिल किया जाए, ताकि वयस्क भी अपने अधिकारों से अवगत हों।
4. **दृश्य–श्रव्य माध्यम निरक्षरः–** लोगों के लिए फिल्मों, नाटकों और रेडियो के जरिए जागरूकता फैलाई जाए।
5. **सामुदायिक शिक्षा केंद्रः–** ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में मुफ्त शिक्षा केंद्र स्थापित किए जाएँ, जहाँ साक्षरता के साथ–साथ मानवाधिकार शिक्षा दी जाए।

साक्षरता मानवाधिकार शिक्षा की कुंजी है। भारत में साक्षरता दर में सुधार के बावजूद, यह अभी भी असमान और अपर्याप्त है, जिसके कारण मानवाधिकार शिक्षा का प्रसार सीमित है। जब तक साक्षरता को हर नागरिक तक नहीं पहुँचाया जाता, मानवाधिकारों की समझ और उनका उपयोग एक सपना ही बना रहेगा।

जाति, लिंग और मानवाधिकार शिक्षा

जाति और लिंग भारत के सामाजिक ताने–बाने में गहरे स्तर तक समाए हुए दो ऐसे कारक हैं, जो मानवाधिकार शिक्षा के प्रसार और प्रभाव को सीधे प्रभावित करते हैं। ये दोनों कारक न केवल सामाजिक असमानता को बढ़ाते हैं, बल्कि मानवाधिकारों के उल्लंघन के मूल कारण भी हैं। भारत का संविधान समानता और भेदभाव से मुक्ति की गारंटी देता है, फिर भी जातिगत भेदभाव और लैंगिक असमानता आज भी समाज में व्याप्त हैं। मानवाधिकार शिक्षा का लक्ष्य इन असमानताओं को दूर करना और हर व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार दिलाना है। यहाँ पर जाति और लिंग के संदर्भ में मानवाधिकार शिक्षा की स्थिति का विश्लेषण किया गया है, इनसे उत्पन्न चुनौतियों की पड़ताल और समाधान के लिए सुझाव प्रस्तुत भी किया गया है।

जाति और मानवाधिकार शिक्षा

जाति व्यवस्था का प्रभावः– जाति व्यवस्था भारत की एक ऐतिहासिक और संरचनात्मक समस्या है, जो सामाजिक पदानुक्रम और भेदभाव को जन्म देती है। अनुसूचित जाति (SSC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) जैसे समुदाय अभी भी सामाजिक बहिष्कार, हिंसा और शोषण का शिकार हैं। संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता को समाप्त करने का प्रावधान है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में यह प्रथा आज भी देखी जाती है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की 2022 की रिपोर्ट के अनुसार, अनुसूचित जातियों के विरूद्ध अपराधों में 1.2% की वृद्धि हुई, जिसमें हिंसा और भेदभाव के मामले शामिल हैं। जाति व्यवस्था मानवाधिकार शिक्षा के सामने कई चुनौतियाँ प्रस्तुत करती है।

शिक्षा तक असमान पहुँचः– दलित और आदिवासी समुदायों में साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार, SC की साक्षरता दर 66.1% और ST की 59% थी, जो सामान्य वर्गों से काफी कम है।

सामाजिक बहिष्कारः– विद्यालयों में भी जातिगत भेदभाव देखा जाता है। उदाहरण के लिए, कुछ क्षेत्रों में दलित बच्चों को अलग बैठने या मिड–डे मील में हिस्सा न लेने के लिए मजबूर किया जाता है।

जागरूकता की कमीः– निचली जातियों के लोग अक्सर अपने अधिकारों से अनजान रहते हैं, जिसके कारण वे भेदभाव को स्वीकार कर लेते हैं।

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 5, Issue 8, March 2025 Impact Factor: 7.67

उदाहरण और केस स्टडी

तमिलनाडु का वेम्बक्कोट्टई मामला (2020) यहाँ एक स्कूल में दलित बच्चों को ऊँची जाति के बच्चों से अलग बैठाया गया। इस घटना ने शिक्षा में भेदभाव और मानवाधिकार शिक्षा की कमी को उजागर किया।

महाराष्ट्र के आदिवासी क्षेत्र यहाँ के आदिवासी समुदायों को वन अधिकार अधिनियम (2006) के तहत अधिकार मिले हैं, लेकिन अशिक्षा और जागरूकता की कमी के कारण वे इनका लाभ नहीं उठा पाते।

सरकारी प्रयास और सीमाएँ:– सरकार ने जातिगत भेदभाव को कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जैसे आरक्षण नीति और अनुसूचित जाति–जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम (1989)। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने भी दलितों के लिए जागरूकता अभियान चलाए हैं। लेकिन ये प्रयास अपर्याप्त हैं, क्योंकि स्कूलों में मानवाधिकार शिक्षा को व्यापक रूप से लागू नहीं किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों और समुदायों में जातिगत पूर्वाग्रह अभी भी मौजूद हैं।

लिंग और मानवाधिकार शिक्षा

लैंगिक असमानता की स्थिति:– लिंग आधारित असमानता भारत में मानवाधिकार शिक्षा की एक और बड़ी चुनौती है। महिलाएँ और तीसरे लिंग (LGBTQ) समुदाय के लोग हिंसा, भेदभाव और शोषण का सामना करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत का बाल लिंगानुपात (0–6 वर्ष) 919 था, जो लिंग भेदभाव और भ्रूण हत्या की गंभीर स्थिति को दर्शाता है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (2022) के अनुसार, महिलाओं के विरूद्ध अपराधों में 4% की वृद्धि हुई, जिसमें घरेलू हिंसा और यौन उत्पीड़न सम्मिलित हैं। लैंगिक असमानता मानवाधिकार शिक्षा को निम्न प्रकार से प्रभावित करती है:–

शिक्षा में अंतर:– महिला साक्षरता दर (2011 में 65.46%) पुरुषों (82.14%) से कम है। इससे महिलाएँ अपने अधिकारों, जैसे संपत्ति का अधिकार या हिंसा से सुरक्षा, से अनजान रहती हैं।

पितृसत्तात्मक मानसिकता:– सांस्कृतिक मान्यताएँ महिलाओं को शिक्षा और स्वतंत्रता से वंचित करती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों को विद्यालयों में भेजने के बजाय घरेलू काम में लगाया जाता है।

LGBTQ समुदाय की उपेक्षा:– तीसरे लिंग के लोगों को शिक्षा और सामाजिक स्वीकृति से वंचित रखा जाता है, जिसके कारण वे अपने अधिकारों से अनभिज्ञ रहते हैं। उदाहरण के लिए हरियाणा में बाल लिंगानुपात 879 (2021) है, जो लिंग भेदभाव को दर्शाता है। लड़कियों की शिक्षा पर ध्यान न देने के कारण मानवाधिकार शिक्षा का प्रसार सीमित है।

दिल्ली में ट्रांसजेंडर समुदाय एक अध्ययन (2022, ह्यूमन राइट्स वॉच) में पाया गया कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को विद्यालयों में भेदभाव का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण उनकी पढ़ाई अधूरी रहती है।

सरकारी प्रयास और सीमाएँ:– सरकार ने लैंगिक समानता के लिए अनेक पहल की हैं:–

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ:– लड़कियों की शिक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देना।

नारी शक्ति योजना:– महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कार्यक्रम।

धारा 377 का निरस्तीकरण (2018):– समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से हटाना।

इन प्रयासों के बावजुद भी मानवाधिकार शिक्षा को मुख्यधारा में लाना अभी बाकी है। विद्यालयों में लैंगिक संवेदनशीलता और समावेशिता पर बल नहीं दिया जाता, और शिक्षक प्रशिक्षण में यह पहलू अनुपस्थित है।

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 5, Issue 8, March 2025 Impact Factor: 7.67

जाति और लिंग का संयुक्त प्रभावः– जाति और लिंग का संयुक्त प्रभाव विशेष रूप से दलित महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों पर देखा जाता है। उदाहरण के लिए, दलित महिलाएँ दोहरे भेदभाव (जाति और लिंग) का शिकार होती हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच (2017) की रिपोर्ट के अनुसार, दलित महिलाओं के विरूद्ध यौन हिंसा के मामले आम हैं, और वे अपने अधिकारों से अनजान होने के कारण न्याय नहीं माँग पातीं। इसी तरह, निचली जातियों से आने वाले LGBTQ व्यक्तियों को शिक्षा और सामाजिक स्वीकृति से वंचित रखा जाता है।

चुनौतियाँ

सामाजिक मान्यताएँः– जाति और लिंग आधारित भेदभाव को सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य माना जाता है।
शिक्षा प्रणाली में कमीः– पाठ्यक्रम में जाति और लिंग संवेदनशीलता को पर्याप्त रूप सम्मिलित नहीं किया गया है।
प्रवर्तन की कमीः– भेदभाव के विरूद्ध कानून तो हैं, लेकिन उनका क्रियान्वयन कमजोर है।
जागरूकता का अभावः– वंचित समुदाय अपने अधिकारों से अनजान हैं।

समाधान हेतु सुझाव

पाठ्यक्रम सुधारः– विद्यालयों में जाति और लिंग समानता पर आधारित पाठ्यक्रम आरम्भ किया जाना चाहिए। इसमें संविधान के अनुच्छेद 15 (भेदभाव निषेध) और 17 (अस्पृश्यता उन्मूलन) को सम्मिलित किया जाए।
शिक्षक प्रशिक्षणः– शिक्षकों को जाति और लिंग संवेदनशीलता पर प्रशिक्षण दिया जाए।
सामुदायिक जागरूकताः– गाँवों और कस्बों में नाटकों, फिल्मों और कार्यशालाओं के माध्यम से जागरूकता फैलाई जाए।
विशेष कार्यक्रमः– दलित, महिलाओं और LGBTQ समुदायों के लिए निशुल्क शिक्षा और जागरूकता केंद्र स्थापित किए जाएँ।
कानूनी सहायताः– वंचित समुदायों को निशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जाए, ताकि वे अपने अधिकारों की रक्षा कर सकें।

जाति और लिंग भारत में मानवाधिकार शिक्षा के लिए दोहरी चुनौती प्रस्तुत करते हैं। ये सामाजिक संरचनाएँ न केवल शिक्षा तक पहुँच को सीमित करती हैं, बल्कि लोगों को उनके अधिकारों से अनजान रखती हैं। जब तक इन कारकों को संबोधित नहीं किया जाता, मानवाधिकार शिक्षा का लक्ष्य अधूरा रहेगा।

भारत में मानवाधिकार शिक्षा की वर्तमान स्थितिः

भारत में मानवाधिकार शिक्षा की स्थिति एक जटिल और बहुआयामी विषय है। पिछले अनुच्छेदों में हमने देखा कि गरीबी, साक्षरता, जाति और लिंग जैसे कारक इस शिक्षा के प्रसार और प्रभाव को कैसे प्रभावित करते हैं। यहाँ पर भारत में मानवाधिकार शिक्षा की वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन किया गया है इसके सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों की पहचान और इनसे निपटने के लिए व्यावहारिक और प्रभावी सुझाव प्रस्तुत किया गया है। भारत जैसे विविध और विकासशील देश में मानवाधिकार शिक्षा को मजबूत करना न केवल सामाजिक न्याय के लिए आवश्यक है, बल्कि यह संवैधानिक मूल्यों को साकार करने का मार्ग भी प्रशस्त करता है।

भारत में मानवाधिकार शिक्षा को औपचारिक और अनौपचारिक दोनों स्तरों पर लागू करने के प्रयास किए गए हैं। इन प्रयासों को निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर समझा जा सकता है

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 5, Issue 8, March 2025
Impact Factor: 7.67

1. **संस्थागत प्रयासः–** राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC), 1993 में स्थापित, मानवाधिकार शिक्षा के प्रचार में अग्रणी रहा है। NHRC ने विद्यालयों, कॉलेजों और समुदायों में सेमिनार, कार्यशालाएँ और जागरूकता अभियान आयोजित किए हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग (SHRC) भी स्थानीय स्तर पर इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने कुछ विश्वविद्यालयों में मानवाधिकार को वैकल्पिक विषय के रूप में शुरू किया है। उदाहरण के कुछ विश्वविद्यालयों, जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय और इग्नू, ने मानवाधिकार शिक्षा में डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स आरम्भ किया हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में मानवाधिकार पर पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं।
2. **विद्याालयी शिक्षा में स्थितिः–** प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में मानवाधिकार शिक्षा को औपचारिक रूप से सम्मिलित नहीं किया गया है। 2000 में, यूनेस्को और यूएन के सहयोग से भारत ने मानवाधिकार शिक्षा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने की पहल की। भारत में स्कूली पाठ्यक्रम में मानवाधिकार शिक्षा को औपचारिक रूप से सम्मिलित करने का प्रयास हुआ हैं, लेकिन यह अभी भी अपर्याप्त है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) ने सामाजिक विज्ञान और नैतिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में मानवाधिकारों से संबंधित विषयों को जोड़ा है। उदाहरण के लिए, कक्षा 6 से 10 तक के पाठ्यक्रम में संविधान, मौलिक अधिकार, और सामाजिक न्याय जैसे अध्याय सम्मिलित हैं। 2005 की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (NCF) ने भी मानवाधिकार शिक्षा को मूल्य–आधारित शिक्षा के एक भाग के रूप में बढ़ावा देने का सूझाव दिया है। हालाँकि, व्यावहारिक रूप से, यह शिक्षा अधिकतर सैद्धांतिक रहती है और गरीब बच्चों के जीवन से इसका सीधा संबंध नहीं बन पाता। ASER (Annual Status of Education Report) 2022 के अनुसार, ग्रामीण भारत में 50% से अधिक बच्चे बुनियादी पढ़ाई–लिखाई में कमजोर हैं, जिसके कारण वे मानवाधिकारों जैसे जटिल विषयों को समझने में असमर्थ रहते हैं। निजी विद्यालयों में यह शिक्षा बेहतर ढंग से लागू होती है, लेकिन सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी और संसाधनों का अभाव इसे प्रभावी होने से रोकता है। इस तरह, स्कूली पाठ्यक्रम में मानवाधिकार शिक्षा मौजूद तो है, लेकिन इसकी गुणवत्ता और पहुँच में भारी असमानता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 में नागरिकता और नैतिकता पर बल दिया गया है, लेकिन मानवाधिकारों पर विशिष्ट पाठ्यक्रम का अभाव है। कुछ निजी स्कूलों और गैर–सरकारी संगठनों (NGOs) ने मानवाधिकार शिक्षा को पाठ्येत्तर गतिविधियों के रूप में शुरू किया है, लेकिन यह व्यापक स्तर पर लागू नहीं है।
3. **अनौपचारिक शिक्षाः–** सरकारी संगठन (NGOs) भारत में मानवाधिकार शिक्षा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहाँ सरकारी प्रयास कमजोर हैं। संगठन जैसे पीपुल्स वॉच, ऑक्सफैम इंडिया, एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया एवं यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (PUCL) ने स्कूलों, कॉलेजों, समुदायों, ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में कार्यशालाएँ, प्रशिक्षण कार्यक्रम और जागरूकता अभियान चलाया हैं। उदाहरण के लिए, पीपुल्स वॉच ने तमिलनाडु में विद्यालयों में मानवाधिकार शिक्षा मॉड्यूल लागू किया, जिसमें बच्चों को उनके अधिकारों और शोषण के विरूद्ध आवाज उठाने की जानकारी दी जाती है।
4. **कानूनी ढाँचाः–** भारत का संविधान और मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम (1993) मानवाधिकार शिक्षा के लिए मजबूत आधार प्रदान करते हैं। फिर भी, इन कानूनों की जानकारी आम लोगों तक पहुँचाने में कमी है। हालाँकि ये प्रयास सराहनीय हैं, लेकिन गरीबी, साक्षरता, जाति और लिंग जैसे कारकों के कारण मानवाधिकार शिक्षा का प्रभाव सीमित रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों और वंचित समुदायों में यह शिक्षा अभी भी अपरिचित और अप्रभावी है।

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 5, Issue 8, March 2025
Impact Factor: 7.67

प्रमुख चुनौतियाँ

भारत में मानवाधिकार शिक्षा के सामने अनेक चुनौतियाँ हैं, जो इसकी प्रगति को बाधित करती हैं, यथाः

1. **संसाधनों की कमीः–** ग्रामीण स्कूलों में शिक्षकों, पुस्तकों और बुनियादी सुविधाओं की कमी है। मानवाधिकार शिक्षा के लिए विशेष सामग्री और प्रशिक्षण का अभाव इसे और कठिन बनाता है। NHRC और SHRC के पास सीमित बजट और कर्मचारी हैं, जिसके कारण उनके अभियान व्यापक स्तर पर नहीं पहुँच पाते हैं।
2. **सामाजिक असमानताः–** जैसा कि पिछले अनुच्छेदों में चर्चा की गई है, गरीबी, जाति और लिंग आधारित भेदभाव शिक्षा तक पहुँच को सीमित करते हैं। दलित, महिलाएँ और LGBTQ समुदाय इस असमानता के सबसे बड़े शिकार हैं। पितृसत्तात्मक और जातिगत मानसिकता लोगों को मानवाधिकारों की अवधारणा को स्वीकार करने से रोकती है।
3. **शिक्षकों का अपर्याप्त प्रशिक्षणः–** अधिकांश शिक्षकों को मानवाधिकारों के बारे में औपचारिक प्रशिक्षण नहीं दिया जाता। इसके कारण वे इसे प्रभावी ढंग से पढ़ाने में असमर्थ रहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों की अनुपस्थिति और उनकी गुणवत्ता एक अतिरिक्त समस्या है।
4. **जागरूकता का अभावः–** आम नागरिक, विशेष रूप से वंचित समुदाय, अपने अधिकारों से अनजान हैं। उदाहरण के लिए, बहुत से लोग यह नहीं जानते कि उनके पास मुफ्त कानूनी सहायता (अनुच्छेद 39) का अधिकार है। सरकारी योजनाएँ और कानूनों की जानकारी जटिल भाषा में होने के कारण आम लोगों तक नहीं पहुँच पाती।
5. **संरचनात्मक कमियाँः–** मानवाधिकार शिक्षा को स्कूली पाठ्यक्रम में अनिवार्य नहीं बनाया गया है, जिसके कारण यह वैकल्पिक और सीमित रह गई है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच डिजिटल और एजुकेशनल डिवाइड इसे और जटिल बनाता है।

समाधान हेतु सुझावः– इन चुनौतियों से निपटने और मानवाधिकार शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत हैं:–

1. **पाठ्यक्रम के साथ एकीकरणः–** प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर मानवाधिकार शिक्षा को अनिवार्य विषय बनाया जाए। इसमें संविधान के मौलिक अधिकार और कर्तव्य, सामाजिक समानता और मानवीय गरिमा जैसे विषय सम्मिलित हों। इसे सरल भाषा और स्थानीय संदर्भों के साथ पढ़ाया जाए, ताकि बच्चे इसे आसानी से समझ सकें।
2. **शिक्षक प्रशिक्षण और क्षमता निर्माणः–** शिक्षकों के लिए मानवाधिकारों पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए जाएँ। इसमें जाति, लिंग और गरीबी जैसे मुद्दों पर संवेदनशीलता सम्मिलित हो। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों की भर्ती और उनकी नियमित उपस्थिति सुनिश्चित की जाए।
3. **सामुदायिक जागरूकता अभियानः–** NHRC और NGOs के सहयोग से गाँवों और शहरी झुग्गियों में जागरूकता शिविर आयोजित किए जाएँ। इसमें नाटक, फिल्में और रेडियो जैसे माध्यमों का उपयोग हो। स्थानीय भाषाओं और संस्कृति को ध्यान में रखकर सामग्री तैयार की जाए।
4. **वंचित समुदायों के लिए विशेष पहलः–** गरीब, दलित, महिलाओं और LGBTQ समुदायों के लिए मुफ्त शिक्षा केंद्र स्थापित किए जाएँ, जहाँ साक्षरता के साथ–साथ मानवाधिकार शिक्षा दी जाए। इन समुदायों को मुफ्त कानूनी सहायता और परामर्श प्रदान किया जाए।

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 5, Issue 8, March 2025 Impact Factor: 7.67

5. **प्रौद्योगिकी का उपयोगः–** डिजिटल प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप्स के जरिए मानवाधिकार शिक्षा को सुलभ बनाया जाए। उदाहरण के लिए, एक ऐप जिसमें संविधान के अधिकारों की जानकारी हो। ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल डिवाइड को कम करने के लिए सामुदायिक इंटरनेट केंद्र स्थापित किए जाएँ।
6. **नीति और कानूनी सुधारः–** मानवाधिकार शिक्षा को राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अभिन्न हिस्सा बनाया जाए। NHRC और SHRC के लिए अधिक बजट और संसाधन आवंटित किए जाएँ, ताकि वे अपने अभियानों को विस्तार दे सकें।
7. **मूल्यांकन और निगरानीः–** मानवाधिकार शिक्षा के प्रभाव को मापने के लिए नियमित सर्वेक्षण और मूल्यांकन किए जाएँ। विद्यालयों और समुदायों में इसके क्रियान्वयन की निगरानी के लिए एक स्वतंत्र समिति गठित की जाए।

भारत में मानवाधिकार शिक्षा की वर्तमान स्थिति में प्रगति हुई है, लेकिन यह अभी भी अपने लक्ष्य से दूर है। गरीबी, साक्षरता, जाति और लिंग जैसे कारकों ने इसकी राह में अनेक बाधाएँ खड़ी की हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए एक समग्र और समन्वित दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें सरकार, शैक्षिक संस्थान और नागरिक समाज मिलकर काम करें। प्रस्तुत सुझावों को लागू करने से न केवल मानवाधिकार शिक्षा का प्रसार होगा, बल्कि यह भारत को एक अधिक न्यायपूर्ण और समावेशी समाज की ओर ले जाएगा।

निष्कर्ष

गरीबी, साक्षरता, जाति और लिंग के विशेष संदर्भ में भारत में मानवाधिकार शिक्षा की स्थिति को यह शोधपत्र दर्शाता है कि ये चारों कारक मानवाधिकार शिक्षा के लिए अवसर और चुनौती दोनों हैं। गरीबी शिक्षा तक पहुँच को सीमित करती है, साक्षरता इसकी समझ का आधार बनती है, और जाति व लिंग सामाजिक बाधाएँ उत्पन्न करते हैं। फिर भी, इन कारकों को संबोधित करके भारत में मानवाधिकार शिक्षा को एक शक्तिशाली उपकरण बनाया जा सकता है, जो हर नागरिक को अपने अधिकारों से अवगत कराए और उन्हें सशक्त बना सके। यह शोधपत्र इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि मानवाधिकार शिक्षा केवल एक शैक्षिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का आधार है, जिसके लिए संयुक्त प्रयास अपरिहार्य हैं।

संदर्भ

[1.] ASER Centre. (2022). Annual Status of Education Report (ASER) 2022. Retrieved from http://www.asercentre.org

[2.] Dreze, J., & Sen, A. (2013). An uncertain glory: India and its contradictions. New Delhi, India: Penguin Books.

[3.] Government of India. (2009). Right to Education Act, 2009. New Delhi, India: Department of School Education and Literacy,(Ministry of Education).

[4.] International Labour Organization (ILO). (2022). Child labour in India: Challenges and solutions. Retrieved from https://www.ilo.org/newdelhi/areasofwork/child-labour

[5.] National Human Rights Commission. (2022). Annual report 2021-22. New Delhi, India: NHRC.

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 5, Issue 8, March 2025
Impact Factor: 7.67

[6.] National Sample Survey Organisation (NSSO). (2011–2012). Poverty and consumption expenditure in India: 68th round. New Delhi, India: Ministry of Statistics and Programme Implementation.

[7.] NITI Aayog. (2021). National Multidimensional Poverty Index: Baseline report. New Delhi, India:

[7.] Sen, A. (2000). Development as freedom. New Delhi, India: Oxford University Press.

[8.] UNICEF India. (2022). Education in India: The situation of children. Retrieved from https://www.unicef.org/india/what-we-do/education

[9.] World Bank. (2023). Poverty in India: Facts and figures. Retrieved from https://www.worldbank.org/en/country/india/overview#poverty

[10.] United Nations. (1948). Universal Declaration of Human Rights. Retrieved from https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights

[12.] कपूर ए0 के0 (2019), मानव अधिकार, इलाहाबादः सेंट्रल लॉ एजेंसी।

[13.] पाण्डेय आर0 एस0 (2001), शैक्षिक निबंध, आगराः विनोद पुस्तक मंदिर।

[14.] पाण्डेय एस0के0 (2022), मानवाधिकार शिक्षा एवं शान्ति आधारित शिक्षा, आई.जे.ए.आर.एस.सी.टी., 7(1) 83–87। DOI: 10.48175/IJARSCT-7072 83 www.ijarsct.co.in

[15.] बसु डी0 डी0 (2001,) भारत का संविधान एक परिचय, नई दिल्लीः लेक्सिस बटरवर्थ बाधवा।

[16.] भारत सरकार (2011). जनगणना 2011. नई दिल्ली, जनगणना आयुक्त और भारत के रजिस्ट्रार जनरल। https://new.census.gov.in/census.website/hi/about/contact

[1.]यादव ए0 के0 (2018,) विद्यार्थियों में मानवाधिकार जागरूकता का विश्लेषणात्मक अध्ययन, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एडवांस रिसर्च एंड डेव्लपमेंट, 3(2): 654–657।

[17.] लाल एवं शर्मा (2011), भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास व समस्यायँ, मेरठः आर0 लाल बुक डिपो।

[18.] शर्मा एम0 (2017), शिक्षकों में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता का अध्ययन, रिमार्किंग एंड एनलसिस, 2(9): 132–139।